<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 139/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/536

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता रतनलाल पालीवाल ब्राहम्ण निवासी खेमपुर तहसील मावली।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती केशीबाई पत्नी नवलराम गाडरी निवासी खेमपुर तहसील मावली।
2. श्री भगवानलाल पिता दोला गाडरी निवासी खेमपुर तहसील मावली।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत खेमपुर तहसील मावली।
4. मन्जु पुरोहित पुत्री किशनलाल ब्राहम्ण निवासी खेमपुर तहसील मावली।
5. श्री ललित पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी खेमपुर तहसील मावली।
6. श्रीमती सज्जनबाई पत्नी किशनलाल ब्राहम्ण निवासी खेमपुर तहसील मावली।
7. सुशीला पुत्री किशनलाल ब्राहम्ण निवासी खेमपुर तहसील मावली।
8. कल्पना पिता देवीलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता चुन्नीबाई पत्नी देवीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
9. श्री गणेशलाल पिता सवा सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
10. श्रीमती गेन्दी पत्नी सवा सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
11. श्री चेतन पिता देवीलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता चुन्नीबाई पत्नी देवीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
12. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी देवीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
13. श्री दोला दत्तक पिता कजोड सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
14. श्रीमती नानी पत्नी मांगीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
15. श्री नारायणलाल पिता धन्ना सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
16. श्रीमती फेतीबाई पत्नी भगवानलाल जाट निवासी खेमपुर तहसील मावली।
17. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी कालुलाल जाट निवासी खेमपुर तहसील मावली।
18. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी धन्ना जाट निवासी खेमपुर तहसील मावली।
19. भावना पुत्री देवीलाल नाबालिग सरंक्षक सरपरस्त माता चुन्नीबाई पत्नी देवीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
20. श्रीमती यशोदा पत्नी किशनदास वैरागी निवासी खेमपुर तहसील मावली।
21. श्री रूपलाल पिता वेणीराम सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
22. राधादेवी पुत्री धन्ना सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
23. श्री रामलाल पिता सवा सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
24. रीना पुत्री देवीलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता चुन्नीबाई पत्नी देवीलाल सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
25. श्री लालुराम पिता गोकलदास वैरागी निवासी खेमपुर तहसील मावली।
26. श्री श्यामलाल पिता कालु सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
27. श्री सुखलाल पिता सवा सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।
28. श्री हीरालाल पिता कालु सुथार निवासी खेमपुर तहसील मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:47 IST
Reason: SelfAttested

29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 824, 825, 826 उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात के पडौस निम्न प्रकार है :–

   पूर्व – 1 विपक्षी संख्या 1, 2 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 1996/827 की कृषि भूमि।

   2 विपक्षी संख्या 3 की खातेदारी की आराजी नम्बर 2127/977 की आबादी भूमि।

   पश्चिम – विपक्षी संख्या 4 से 7 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 2203/824 की कृषि भूमि।

   उत्तर – 1 विपक्षी संख्या 8 से 28 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 822 की कृषि भूमि।

   2 विपक्षी संख्या 8 से 15, 18, 19, 21 से 24, 26, 27, 28 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 823 की कृषि भूमि।

   दक्षिण – विपक्षी संख्या 3 की खातेदारी की आराजी नम्बर 2127/977 की आबादी भूमि।
3. यह कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो दिशाओ की सीमा पर वर्तमान में कांटो/थौहर की बाड ही की हुई है जिससे मेरी जमीन के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी हमारी जमीन में घुस जाते है और फसलो को नष्ट कर नुकसान पहूंचाते है एवं पडौसी खातेदारान/वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 28 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए मैं प्रार्थी अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए उक्त वर्णित कृषि भूमि के [illegible]फ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूं। इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी [illegible] भूमि की चारो दिशाओं की सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:47 IST
Reason: SelfAttested

की पत्थरगढी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो।

4. यह कि मुझ प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु दिनांक 09.01.2024 को श्रीमान् तहसीलदार मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मावली के आदेशानुसार पटवारी द्वारा मौके पर पहूंचकर सीमा जानकारी की कार्यवाही प्रारम्भ की किन्तु मौके पर विवाद की स्थिति होने से पटवारीजी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान नहीं कराया जा सका। पटवारीजी द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही में उक्त आशय की रिपोर्ट करते हुए मुझ प्रार्थी को पत्थरगढी कराने हेतु हिदायत दी गई। इसलिए मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सभी सीमाओं की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है जिस हेतु मुझ प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व अंतिम बार प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 06.12.2024 को उत्पन्न हुआ जब मैने पडौसी सहखातेदारों एवं उनके परिवारजनों विपक्षी संख्या 1 से 28 को मेरी कृषि भूमियों की सीमाओं की पत्थरगढी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 28 इसके लिए तैयार नहीं हूए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमियों की चारो (सभी) दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 28 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो मेरी कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 4 से 7, 10, 14, 18, 21, 25 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 3, 8, 9, 11 से 13, 15 से 17, 19 से 20, 22 से 24, 26 से 28 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 29 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.01.31 12:48:47 IST
Reason: SelfAttested

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि

अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ही विपक्षी संख्या 4 से 7, 10, 14, 18, 21, 25 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः विपक्षी संख्या 4 से 7, 10, 14, 18, 21, 25 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 485 पर दर्ज आराजी नम्बर 824 रकबा 1.7644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 825 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 826 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 485 पर दर्ज आराजी नम्बर 824 रकबा 1.7644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 825 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 826 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:47 IST
Reason: SelfAttested